निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 49)

[29 दिसम्बर, 2021]

**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम**

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अध्याय 2

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का संशोधन

धारा 14 का संशोधन।

1950 का 43

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (जिसे इस अध्याय में इसक पश्चात् 1950 का अधिनियम कहा गया है), की धारा 14 के खंड (ख) में ''जनवरी का पहला दिन'' शब्दों के स्थान पर, ''1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर'' अंक और शब्द रखे जाएंगे।

धारा 20 का संशोधन।

3. 1950 के अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (6) में,—

(i) ''की पत्नी'' शब्द के स्थान पर, ''का पति या पत्नी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''करती हो, तो ऐसी पत्नी'' शब्द के स्थान पर ''करता/करती हो, तो ऐसे पति या पत्नी'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 23 का संशोधन।

4. 1950 के अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

'(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर किसी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति आधार (वित्तीय और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा दी गई आधार संख्या प्रस्तुत करें: 2016 का 18

परन्तु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजनों के लिए और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों या उसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार निर्वाचक नामावली में उसी व्यक्ति के नाम के रजिस्ट्रीकरण की पहचान करने के लिए निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित व्यक्तियों की आधार संख्या की अपेक्षा भी कर सकेगा।

(5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया गया है, ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति, में, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित तारीख को या उससे पूर्व अपनी आधार संख्या ससूचित कर सकेगा।

(6) निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए किसी आवेदन से इंकार नहीं किया जाएगा और निर्वाचक नामावली में किन्हीं प्रविष्टियों का किसी व्यष्टि द्वारा ऐसे पर्याप्त कारण से, जो विहित किया जाए, आधार संख्या प्रस्तुत करने या संसूचित करने में असमर्थता के कारण लोप नहीं किया जाएगा:

परन्तु ऐसे व्यष्टि को ऐसे अन्य वैकल्पिक दस्तावेज, जो विहित किए जाएं, प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''आधार संख्या'' पद का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में उसका है।'। 2016 का 18

धारा 28 का संशोधन।

5. 1950 के अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (जजज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(जजजक) धारा 23 की उपधारा (5) के अधीन प्राधिकारी और आधार संख्या संसूचित करने का प्ररूप और रीति;

(जजजख) धारा 23 की उपधारा (6) के अधीन वह पर्याप्त कारण और व्यष्टि द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वैकल्पिक दस्तावेज।''।

अध्याय 3

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का संशोधन

धारा 60 का संशोधन।

6. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में 1951 के अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 60 के खंड (ख) के उपखंड (ii) में, दोनों स्थानों पर आने वाले ''पत्नी'' शब्द के स्थान पर, ''पति या पत्नी'' शब्द रखे जाएंगे। 1951 का 43

धारा 160 का संशोधन।

7. 1951 के अधिनियम की धारा 160 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(क) किन्ही परिसरों की मतदान केन्द्रों के रूप में, मतगणना करने, मतदान पेटियों, वोटिंग मशीनों (वोटर वेरीफिएबल पेपर आडिट ट्रेल सहित) के भंडारण और मतदान हो जाने के पश्चात् मतदान संबंधी सामग्री, सुरक्षा बलों और मतदान कार्मिकों के लिए आवास के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है; या'';

(ii) परन्तुक में, ''परन्तु'' शब्द के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु ऐसे परिसरों की धारा 30 के अधीन उसके खंड (ङ) के अधीन तारीख अधिसूचित होने तक ऐसे निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के पश्चात् अध्यपेक्षा की जाएगी:

परन्तु यह और कि''।

———————